राजा मानसिंह तोमर
संगीत एवं कला विश्वविद्यालय
ग्वालियर, मध्यप्रदेश

Raja Mansingh Tomar
Music and Arts University
Gwalior, Madhya Pradesh

क्र./482/प्रशा./रामातोविवि/ग्वा. दिनांकः– 12.10.2020

प्रति,

प्राचार्य
समस्त संबद्ध संगीत एवं कला महाविद्यालय,
म.प्र.

विषय :– **MPTAAS पोर्टल से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने बावत्।**

संदर्भ :– सं.सं. का पत्र क्रमांक 927/सं.सं./महा.वि./2020 दिनांक 09.10.2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत महाविद्यालय में सत्र 2019–20 में अध्यनरत अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ दिलाने हेतु समस्त महाविद्यालयों से निर्धारित प्रपत्र में जानकारी प्राप्त कर संस्कृति संचालनालय भोपाल की ओर प्रेषित की जानी है।

कृपया संलग्न प्रपत्र (Excel sheet) में आपके महाविद्यालय से संबंधित समस्त जानकारी **दिनांक 14.10.2020 तक** आवश्यक रूप से scholarship.rmtmusic@gmail.com पर प्रेषित करने का कष्ट करें। निर्धारित तिथि तक जानकारी प्राप्त न होने अथवा अपूर्ण जानकारी प्राप्त होने की स्थिति में यदि कोई पात्र छात्र लाभांवित होने से वंचित रहता है तो तत्संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संबंधित महाविद्यालय का होगा।

यदि महाविद्यालय द्वारा पूर्व में जानकारी भेजी गयी है तो भी निर्धारित प्रपत्र में समस्त जानकारी पुनः प्रेषित करने का अनुरोध है।

12.10.2020

छात्रवृत्ति शाखा प्रभारी

कुलसचिव

प्रतिलिपि

क्र./ /प्रशा./रामातोविवि/ग्वा. दिनांकः–

1. माननीय कुलपति जी की ओर सूचनार्थ।
2. श्रीमान् संचालक, संस्कृति संचालनालय म.प्र. शासन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

छात्रवृत्ति शाखा प्रभारी

कुलसचिव

10/12/2020

001.jpg

50 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

मध्यप्रदेश शासन

संस्कृति संचालनालय

1, शिवाजी नगर (रेडक्रास अस्पताल के पीछे), भोपाल - 462016
दूरभाष : 0755-2770597, 2770598
www.culturemp.in contact.culture@mp.gov.in

SPEED - POST
तत्काल / समयसीमा

क्र. 927/सं.सं. / महा.वि.. / 2020, भोपाल, दिनांक: 9 / 10/ 2020

प्रति,

श्री के.के. शर्मा,
कुल सचिव,
राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय,
ग्वालियर (म.प्र.)

विषय : **अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ – MPTAAS के PMS माड्यूल हेतु शैक्षणिक संस्थाओं का डॉटा एवं नॉन रिफन्डेबल फीस के संबंध में ।**

—:—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आयुक्त, आदिवासी विकास द्वारा अनुसूचित जानजाति वर्ग के योजनान्तर्गत पात्र विद्यार्थियों को पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान करने की संचालित योजना का लाभ प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय के अन्तर्गत संचालित/सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों/ शिक्षण संस्थाओं तथा इनमें अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों की जानकारी, **संस्थावार पृथक–पृथक** रूप से **निर्धारित प्रपत्रों** में तत्काल उपलब्ध करायी जाना है। अतः **सुनिश्चित किया जावे कि:–**

(1) प्रत्येक महाविद्यालय / संस्थावार जानकारी पृथक–पृथक पूर्ण रूप से, निर्धारित प्रपत्रों में भरकर प्रेषित की जावे।

(2) छात्रवृत्ति योजना की दृष्टि से, जिन संस्थाओं में अनुसूचित जनजाति वर्ग के कोई विद्यार्थी अध्ययनरत नहीं है, की जानकारी भी "निरंक" का उल्लेख कर निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध करायी जावे।

(3) छात्रों से संबंधित जानकारी पूर्ण रूप से भरी गई है, का परीक्षण कर सुनिश्चित कर लिया जावे।

(4) सभी सम्बद्ध महाविद्यालयों / संस्थाओं की जानकारी एक साथ उपलब्ध करायी जावे।

निर्धारित प्रपत्र में वांछित जानकारी उपलब्ध न होने एवं अपूर्ण जानकारी होने पर यदि कोई पात्र छात्र लाभांवित होने से वंचित रहता है तो, तत्सबंध में उत्तरदायित्व संस्था का रहेगा।

यदि विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में संबंधित कोई जानकारी उपलब्ध करायी गयी है तो भी अनुरोध है कि उक्त के प्रकाश में एकजाई जानकारी समग्र रूप से पुनः प्रेषित करना यथोचित होगा।

कृपया उपरोक्तानुसार **संकलित** एवं **यथापूर्ण जानकारी** निर्धारित प्रपत्रों में, **एक सप्ताह** में अनिवार्यतः उपलब्ध करायी जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(एन. श्रीवास्तव)
सहा. संचालक (वि.वि.स्था.)
(9826055145)

D/Shrivastava Sir/Sthapna/Letter